

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
22/08/2022	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री शाश्वत सुराना एवं अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री फिजि ग्वालरे ।</p> <p>- आवेदिका द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदकगण के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदिका का कथन है कि अनावेदकगण के प्रोजेक्ट "फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.) में मकान क्रमांक-61 को प्रोजेक्ट में बताई गई सुविधाओं के आधार पर क्रय किया है। आवेदिका के अनुसार अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य किये जाने के कारण बारिश में मकान की छतों व दीवारों में पानी टपकता है तथा दीवार में जगह-जगह पर दरारें हैं। आवेदिका ने कॉलोनी के संबंध में यह उल्लेख किया है कि कॉलोनी में हमेशा गंदगी रहती है और सीवरेज सिस्टम जाम होने के कारण बारिश के मौसम में पानी गलियों में बहता है। अनावेदकगण ने प्रश्नाधीन कॉलोनी को रहवासियों को हस्तांतरित भी नहीं किया है, जिसका फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों द्वारा अवैध वसूली अनावेदकगण के प्रश्रय में की जा रही है। आवेदिका के अनुसार अनावेदक क्रमांक-2 के प्रश्रय में कॉलोनी के कुछ रहवासी अवैध रखरखाव शुल्क की वसूली करते हैं तथा उनके द्वारा दादागिरी करते हुये आवेदिका के घर का नल कनेक्शन 9 माह पहले काट दिया गया है। आवेदिका ने आगे बताया है कि बिल्डर द्वारा प्रश्रित व्यक्तियों द्वारा आवेदिका के मकान पर निजी बोर खनन करने से भी रोका गया है। अतः आवेदिका ने नल विच्छेद करने वाले बिल्डर व रहवासियों पर एफ. आई. आर. दर्ज कराने हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित किये जाने, कॉलोनी का रखरखाव हेतु रहवासियों को विधिवत् हस्तांतरण कराये जाने का अनुरोध किया है। आवेदिका ने समिति बनाकर कॉलोनी का</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 105

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति—श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी—मकान नं.—61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर—अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा—मुख्याराम —श्री राहुल शुक्ला, निवासी—17, जोन—2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी—मकान नं.—133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट—“फ्लोरल सिटी” डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>हस्तांतरण किये जाने पर जी.एस.टी. नंबर तथा पैन नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर रखरखाव की रसीद में उपरोक्त नंबरों का उल्लेख करते हुये समिति को रसीद प्रदान करने हेतु निर्देशित किये जाने, क्षतिपूर्ति दिलाये जाने, स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराये जाने तथा आवेदिका के मकान में निजी बोर खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाये जाने का भी अनुरोध किया है।</p> <p>— प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को नोटिस प्रेषित किया गया। उन्हें ई—मेल के माध्यम से भी सूचना प्रेषित किया गया।</p> <p>— अनावेदक क्रमांक—1 ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये यह लेख किया है कि आवेदिका ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुये बिना किसी वाद कारण के ही वर्तमान शिकायत प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं है। अनावेदक क्रमांक—1 ने इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण टी. अरविंदनदम विरुद्ध टी.वी. सत्यपाल और अन्य (1977) 4 SCC 467, ए.बी.सी. लैमिनार्ट प्रा.लि. और अन्य ए.पी. एजेंसीस सालेम (1989) 2 SCC 163, तथा ब्लूम डेकोर लिमिटेड विरुद्ध सुभाष हिमतलाल देसाई और अन्य (1994) 6 SCC 322 में पारित आदेशों का उल्लेख किया है। अनावेदक क्रमांक—1 ने यह भी लेख किया है कि आवेदिका को यह तथ्य ज्ञात है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में आबंटितियों द्वारा सहकारी समिति का गठन कर लिया गया है। इसके बावजूद भी आवेदिका ने समिति को समस्याओं से अवगत कराने के स्थान पर वर्तमान सारहीन शिकायत प्रस्तुत की है। अनावेदक क्रमांक—1 के अनुसार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि आवेदिका के घर के नल कनेक्शन के संबंध में वाद का निर्णयन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 15.03.2022 के माध्यम से किया गया है। अर्थात् वर्तमान शिकायत का निराकरण पहले ही अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर दिये जाने के कारण माननीय रेरा के समक्ष समान वाद विषय</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>पर शिकायत प्रस्तुत करने पर पूर्व न्याय (res judicata) का सिद्धांत लागू होता है। अनावेदक क्रमांक-1 के अनुसार यदि वह आवेदिका उप-पंजीयक के आदेश से संतुष्ट नहीं थी, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। इसके स्थान पर आवेदिका सहकारी समिति के कृत्य के लिये समिति को पक्षकार बनाये बिना ही अनावेदक क्रमांक-1 को पक्षकार बनाते हुये शिकायत प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं है। अनावेदक क्रमांक-1 ने आगे लेख किया है कि आवेदिका ने प्रश्नाधीन मकान के संबंध में अपने शिकायत पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अनावेदक क्रमांक-1 ने यह भी बताया है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की रहवासी समिति को प्रोजेक्ट का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया प्रगतिरत है। अतः अनावेदक क्रमांक-1 ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण ओसवाल फ़ैट्स एण्ड ऑयल्स लिमिटेड विरुद्ध अतिरिक्त कमिश्नर (प्रशासन) (2010) 4 SCC 728 में पारित आदेश का उल्लेख करते हुये आवेदिका द्वारा प्रस्तुत सारहीन शिकायत को अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>- प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदिका के आवेदन, अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने उपरांत प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता है :-</p> <p>- क्या आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत पोषणीय है ?</p> <p>- विचारणीय बिन्दु :- आवेदिका ने प्रश्नाधीन आवेदन में यह लेख किया है कि उसने अनावेदकगण के प्रोजेक्ट "फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर में मकान क्रमांक-61 को क्रय किया है, जिसके निर्माण की गुणवत्ता खराब होने के कारण मकान में सीपेज, दरारें आदि</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>समस्यायें हैं। आवेदिका ने अपने शिकायत पत्र में वांछित अनुतोष के रूप में यह उल्लेखित किया है कि आवेदिका के घर का नल कनेक्शन विच्छेद करने वाले बिल्डर तथा सहयोगियों पर एफ.आई. आर दर्ज कराई जावे, कॉलोनी का विधिपूर्वक हस्तांतरण समिति को कराया जावे, समिति को जी.एस.टी. नंबर तथा पैन नंबर प्राप्त करने हेतु निर्देशित करते हुये उक्त नंबर को रसीद में अंकित करने निर्देशित किया जावे, बोर खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाया जावे तथा क्षतिपूर्ति दिलाई जावे। अनावेदक क्रमांक-1 ने आवेदिका के आवेदन को अस्वीकार करते हुये प्रारंभिक आपत्ति की है कि आवेदिका ने प्रश्नाधीन मकान के संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा है। आवेदिका द्वारा बिना किसी वाद कारण के उसके विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। अनावेदक क्रमांक-1 अनुसार आवेदिका ने समिति की गतिविधियों से क्षुब्ध होने के बावजूद भी अनावेदक क्रमांक-1 को पक्षकार बनाते हुये शिकायत प्रस्तुत की है, जो सुनवाई योग्य नहीं है। अनावेदक क्रमांक-1 ने शिकायत के संबंध में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का उल्लेख करते हुये बताया है कि नल कनेक्शन संबंधी विवाद का निराकरण उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 15.03.2022 के माध्यम से किये जाने के बावजूद भी आवेदिका ने उक्त विषय पर ही माननीय प्राधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है, जो पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होने के कारण पोषणीय नहीं है। अनावेदक क्रमांक-1 ने प्रोजेक्ट में सहकारी समिति गठित होने की जानकारी आवेदिका को होने तथा समिति को प्रोजेक्ट के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगतिरत होने का भी लेख किया है। अनावेदक क्रमांक-1 ने उपरोक्त आधारों पर आवेदिका के आवेदन को पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। चूंकि प्रश्नाधीन शिकायत गुण-दोष के आधार पर निराकरण किये जाने के पूर्व उपरोक्त आपत्ति का निराकरण किया जाना आवश्यक है। अतः आपत्ति के</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>निराकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रारंभिक अवलोकन व अध्ययन तथा उन पर प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदिका ने अपनी शिकायत पत्र में अपने मकान के संबंध में समस्याओं का उल्लेख तो किया है, लेकिन उस संबंध में प्राधिकरण से कोई राहत नहीं चाही है। आवेदिका द्वारा अपने शिकायत पत्र में उसके मकान का नल कनेक्शन 9 माह पूर्व विच्छेद किये जाने का उल्लेख करते हुये अनावेदक क्रमांक-2 तथा अनावेदक क्रमांक-2 के प्रश्न में अवैध तरीके से रखरखाव शुल्क की वसूली करने वाले कुछ लोगों के नामों का उल्लेख करते हुये उन पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने की राहत चाही गई है। किन्तु आवेदिका ने अपने शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया है कि आवेदिका द्वारा जिन व्यक्तियों का नाम शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया है, वो कौन हैं ? क्या वे रहवासी समिति के सदस्य हैं या प्रोजेक्ट में आबंटिती या अनावेदकगण के कर्मचारी है ? आवेदिका ने अपनी शिकायत पत्र में उक्त संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है और ना ही उसके द्वारा उल्लेखित व्यक्तियों को वर्तमान प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित किया है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि आवेदिका द्वारा अपने शिकायत पत्र के साथ कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें द्वारा जारी पत्र दिनांक 15.03.2022 भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त पत्र के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि आवेदिका के पति ने फ्लोरल सिटी आवासीय सहकारी समिति मर्यादित द्वारा उनके मकान का नल कनेक्शन काटने की शिकायत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें से की थी तथा उक्त पत्र के माध्यम से उप-पंजीयक द्वारा नल कनेक्शन बहाल करने हेतु समिति के प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित किया गया है। अर्थात् नल कनेक्शन के संबंध में समिति संबंधी विवादों के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में ही निर्णय किया जा चुका है। इस प्रकार नल विच्छेद के संबंध में पूर्व</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>में निर्णय हो जाने के कारण पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होने की वजह से उक्त विषय पर सुनवाई किया जाना विधिसम्मत नहीं है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र तथा उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें द्वारा जारी पत्र के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदिका को अधिकांश समस्यायें सहकारी समिति से हैं। हाँलाकि आवेदिका ने अपनी शिकायत पत्र में अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा प्रश्रय दिये जाने का उल्लेख किया है। किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित नहीं होता है कि अनावेदक क्रमांक-2 के प्रश्रय में किसी ने आवेदिका के मकान का नल कनेक्शन काटा है या बोर खनन हेतु रोक लगाई है। बल्कि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त वाद आबंटिती तथा रहवासी समिति के मध्य उत्पन्न विवाद से संबंधित वाद प्रतीत हो रहा है; जिसके निराकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें हैं। अतः आवेदिका को समिति से हो रहे विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिये। अनावेदक क्रमांक-1 ने अपनी आपत्ति में यह भी लेख किया है कि रहवासी सहकारी समिति को सोसायटी के विधिपूर्वक हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगतिरत है। ऐसी परिस्थिति में अनावेदक क्रमांक-1 की यह आपत्ति कि आवेदिका ने बिना किसी वाद कारण के ही प्रमोटर्स के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की है, उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत पोषणीय नहीं है।</p> <p>- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत को अस्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सही/- (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01726

आवेदिका : श्रीमती सविता बंजारे, पति-श्री शैलेन्द्र बंजारे, निवासी-मकान नं.-61, फ्लोरल सिटी, डूण्डा, रायपुर विरुद्ध (1) श्री प्रीतपाल सिंह बिन्दा, डायरेक्टर-अमृत होम्स प्रा.लि., द्वारा-मुख्याराम -श्री राहुल शुक्ला, निवासी-17, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) (2) श्रीमती हरपाल सिंह अरोरा, निवासी-मकान नं.-133, लॉ विस्टा कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"फ्लोरल सिटी" डूण्डा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर